



माध्यमिक स्तर के अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान का विश्लेषण

उमेश कुमार बाजपेड़

शोधार्थी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रस्तावना

पृथ्वी पर सभी जीव-जंतुओं में मानव को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मानव अपने बौद्धिक क्रियाकलापों के आधार पर स्वयं का एवं संपूर्ण मानव समाज का हित साधक बन सकता है परंतु आवश्यकता है उसे सही दिशा की। शिक्षा मानव को इस प्रकार से प्रशिक्षित करती है कि वह स्वयं के साथ-साथ संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। आज का मानव प्रकृति से प्राप्त होने वाले विभिन्न संसाधनों का यथा-जल, वायु, खनिज- संपदा, खाद्यान्न आदि का बेरोक-टोक अपव्ययपूर्ण उपयोग कर रहा है। इन संसाधनों का वह कैसे वास्तविक प्रयोग करे, यह कार्य उसे शिक्षा के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। प्राचीन काल में शिक्षा को एक धार्मिक संस्था माना जाता था परंतु आज शिक्षा को व्यावसायिक रूप में ज्यादा महत्व प्राप्त हो रहा है। आज शैक्षिक परिणामों को शैक्षिक उत्पादन मानते हुए उसका मूल्यांकन लाभ-हानि के रूप में किया जा रहा है जबकि शिक्षा तो अमूर्त है और जब मानव अपने क्रिया-कलापों से इसे मूर्त रूप देता है तो इसका संसाधन के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है।

मानव को जन्मजात कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जो समस्त मानव प्रजाति को एक समान प्राप्त होने चाहिए जैसे -जीवन का अधिकार, भोजन पाने का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव प्रदर्शित करने का अधिकार,, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आदि। इन मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति के आधार पर ही व्यक्ति एवं राष्ट्र का मूल्यांकन किया जाता है। जिस राष्ट्र के नागरिकों को जितने अधिक मानव अधिकार प्राप्त होते हैं वह राष्ट्र उतना ही सुसभ्य एवं उन्नत होता है। सामान्यतः इन्हीं मूलभूत अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शिक्षा की महती आवश्यकता प्रतीत होती है। जो शिक्षा मानव को मानवीय मूल्यों का, मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों आदि का बोध कराए उसे मानवाधिकार शिक्षा कहा जाता है।

मानवाधिकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग **थॉमस पेन** द्वारा किया गया जो फ्रांसीसी घोषणा में पुरुषों का अंग्रेजी अनुवाद है। मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रमाण प्राचीन काल की बेबीलोनिया विधि, असीरियाई विधि, हिती विधि, हम्मुराबी की विधि संहिता तथा भारत में वैदिक कालीन धर्म में पाए जाते हैं। विश्व के सभी धर्मों का आधार मानवतावादी है जिसमें अंतर्वस्तु में भेद होने के बावजूद भी सभी मानवाधिकारों का समर्थन करते हैं। मानवाधिकारों

की जड़ें, प्राचीन विचार, प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार की दार्शनिक अवधारणाओं में पाई जाती हैं। इंग्लैंड का 1215 इ.का मैग्नाकार्टा, 1216-17 ई. में इसकी संसद द्वारा पुष्टि, 1689 ई. का अधिकारों का घोषणा पत्र, 1776 ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, संयुक्त राज्य के 1787 ई. के संविधान में 1789, 1865, 1869 तथा 1919 ई. के संशोधनों के द्वारा पुरुषों के अधिकारों को शामिल करके नागरिकों के मानवाधिकारों को और महत्वपूर्ण बनाया गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अधिकतर राष्ट्रों द्वारा मानव व्यक्तित्व की तथा उनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और मानव को अधिकार प्रदान किए जाने लगे। मानवाधिकार क्या हैं ? इनकी हमें क्या आवश्यकता है और यह हमारे जीवन हेतु कितने उपयोगी हैं ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः आज एक नया सम्प्रत्यय मानवाधिकार शिक्षा के रूप में उत्पन्न हुआ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का संप्रत्यय अति प्राचीन काल से विद्यमान है जैसे— वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, भागवतगीता, समस्त स्मृतियों, चाणक्य के अर्थशास्त्र, बौद्ध एवं जैन गथों आदि में मानवाधिकारों, नागरिकता एवं नागरिक गुणों की शिक्षा का विशद वर्णन है जो संपूर्ण विश्व में देखने को नहीं मिलता।

आज विश्व के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण एवं गंभीर चुनौती मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन से जुड़ी है। आज धरती का कोई स्थान शेष नहीं रहा जो आतंकवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, रंगभेद, भाषावाद आदि जैसी भयंकर अमानवीय समस्याओं से ग्रसित ना हो। यदि संपूर्ण विश्व को इन समस्याओं से बचाना है तो सबसे पहले मानव संसाधन एवं मानवता की रक्षा करनी होगी और यह तभी संभव है जब मानव को मानवता, नागरिकता, समानता, स्वतंत्रता, सह-अस्तित्व, अधिकारों एवं कर्तव्यों आदि का वास्तविक ज्ञान हो। वर्तमान में इन अधिकारों की शिक्षा को विश्व के सभी देश शिक्षा के लगभग सभी स्तरों पर एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, भारत भी इसमें पीछे नहीं है परंतु भारत में अभी यह शिक्षा जन-सामान्य की पहुंच और समझ से मीलों दूर है। आज विश्व का कोई देश देश नहीं है जहां अमानवीय कार्यों के द्वारा मानवाधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन ना हो रहा हो। मानवाधिकारों एवं नागरिक गुणों के अनवरत पतन को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को इनसे परिचित एवं जागरूक होना चाहिए।

उद्देश्य

अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान का लिंग विभेद के आधार पर अध्ययन ।

शून्य परिकल्पनाएं

H₀₁—अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान में सार्थक अंतर नहीं है।

H₀₂—अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों के महिला शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया है। न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के कुल 10 माध्यमिक विद्यालयों (5 अनुदानित तथा 5 गैर अनुदानित) से कुल 100 शिक्षकों (प्रत्येक विद्यालय से उपलब्धता के आधार पर) को यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा चुना गया। प्रदत्तों के संकलन हेतु स्वनिर्मित, मानवाधिकार तथा नागरिकता की शिक्षा संबंधी शिक्षक ज्ञान परीक्षण मापनी का प्रयोग किया गया। संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण की गणना की गयी।

प्रदत्तों का विश्लेषण

अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान के आकलन हेतु प्राप्त प्राप्तांकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता को ज्ञात करने हेतु टी-परीक्षण की सारांश सारणी

तालिका सं.-1

विद्यालय	लिंग	N	M	S	D	SE	t -ratio	Level of significance
अनुदानित	पुरुष	25	45.28	3.02	9.6	1.22	8.01	Significant at 0.01 level
गैर अनुदानित	पुरुष	25	35.68	5.17				
कुल		50	40.48					

मुक्तांश ($df=1,48$) के लिए सारणी मान $t_{0.05} = 2.01$ एवं $t_{0.01} = 2.68$

उपरोक्त सारणी संख्या 1से स्पष्ट है कि t-अनुपात का अवकलित मान मुक्तांश ($df=1,48$) के लिए 8.01 है जो सारणी मान $t_{0.05} = 2.01$ एवं $t_{0.01} = 2.68$ से अधिक है अर्थात् परिगणित t-अनुपात का मान 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। इसलिए कहा जा सकता है कि अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान में सार्थक अंतर है।

अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों की महिला शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान के आकलन हेतु प्राप्त प्राप्तांकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता को ज्ञात करने हेतु टी-परीक्षण की सारांश सारणी

तालिका सं.-2

विद्यालय	लिंग	N	M	S	D	SE	t -ratio	Level of significance
अनुदानित	महिला	25	44.48	3.27	13.56	1.02	13.45	Significant at 0.01 level
गैर अनुदानित	महिला	25	30.92	3.84				
कुल		50	37.70					

मुक्तांश ($df=1,48$) के लिए सारणी मान $t_{0.05} = 2.01$ एवं $t_{0.01} = 2.68$

उपरोक्त सारणी संख्या-2 से स्पष्ट है कि t -अनुपात का अवकलित मान मुक्तांश ($df=1,48$) के लिए 13.45 है जो सारणी मान $t_{0.05} = 2.01$ एवं $t_{0.01} = 2.68$ से अधिक है अर्थात् परिगणित t - अनुपात का मान 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है । इसलिए कहा जा सकता है कि अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों की महिला शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान में सार्थक अंतर है ।

परिणाम एवं विवेचन

H_{01} — अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान में सार्थक अंतर नहीं है ।

H_1 — अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान में सार्थक अंतर है ।

प्रस्तुत शोध परिणामों से ज्ञात हुआ कि अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान हेतु प्राप्त-प्राप्तांकों के विश्लेषण में प्रयुक्त टी-परीक्षण का अवकलित मान 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया। अतः उपरोक्त शून्य परिकल्पना (H_{01}) को अस्वीकृत किया जाता है तथा वैकल्पिक शोध परिकल्पना (H_1) को स्वीकृत किया जाता है।

H_{02} — अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों की महिला शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान में सार्थक अंतर नहीं है।

H_2 — अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों की महिला शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान में सार्थक अंतर है।

प्रस्तुत शोध परिणामों से ज्ञात हुआ कि अनुदानित तथा गैर अनुदानित विद्यालयों की महिला शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान हेतु प्राप्त-प्राप्तांकों के विश्लेषण में प्रयुक्त टी-परीक्षण का अवकलित मान 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया। अतः उपरोक्त शून्य परिकल्पना (H_{02}) को अस्वीकृत किया जाता है तथा वैकल्पिक शोध परिकल्पना (H_2) को स्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष

अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों के प्राप्तांक एवं मध्यमानों का औसत, गैर अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों से उच्च पाया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान का स्तर, गैर अनुदानित विद्यालयों के पुरुष शिक्षकों से उच्च है ।

अनुदानित विद्यालयों की महिला शिक्षकों के प्राप्तांक एवं मध्यमानों का औसत, गैर अनुदानित विद्यालयों की महिला शिक्षकों से उच्च पाया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि अनुदानित विद्यालयों की महिला शिक्षकों में मानवाधिकार शिक्षा संबंधी ज्ञान का स्तर, गैर अनुदानित विद्यालयों की महिला शिक्षकों से उच्च है ।

संदर्भ ग्रंथ

- अग्रवाल,डॉ. एच.ओ. (2008).मानव अधिकार, इलाहाबाद चतुर्थ संस्करण, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन ।
- कपिल,एच.के.(2009).सांख्यिकी के मूलतत्व, आगरा चौदहवां संस्करण, एच०पी०भार्गव बुक हाउस।
- कौल, लोकेश (2014). शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, नोएडा पुनर्मुद्रण संस्करण, विकास पब्लिशिंग हाउस।
- गाबा,ओम प्रकाश (2005).समकालीन राजनीति सिद्धांत, नोएडा संशोधित पुनर्मुद्रण संस्करण, मयूर पेपर बैक्स प्रकाशन।
- गुप्ता,एस.पी. (2006). आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, इलाहाबाद संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण, शारदा पुस्तक भवन ।
- गुप्ता, एस. पी. (2010). सांख्यिकीय विधियां, इलाहाबाद पूर्णतया संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण, शारदा पुस्तक भवन ।
- चंद, जगदीश एवं गुप्ता, सुमन (2010). शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, दिल्ली अंशाह पब्लिशिंग हाउस ।
- जैन, पुखराज (2001). नागरिक शास्त्र की रूपरेखा, आगरा अट्टाईसवां संस्करण, साहित्य भवन प्रकाशन ।
- मंगल,एच.के.(2015). शिक्षा मनोविज्ञान,नई दिल्ली नौवां संस्करण,पी.एच. आई.प्रकाशन ।
- महता, जीवन (2005).राजनीतिक चिंतन का इतिहास, आगरा संशोधित संस्करण, साहित्य भवन प्रकाशन ।
- सिंह, अरुण कुमार (2012).उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, पटना पुनर्मुद्रण संस्करण,मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन ।
- सुलेमान,डॉ. मुहम्मद (2005–06).मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां,पटना तृतीय संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण,जनरल बुक एजेंसी ।